न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस न. 2025/158)

प्रकरण संख्याः– 93/2025
तारीख दायरः– 07/10/2025
निर्णय दिनांकः–11/11/2025

उनवान

1. जसुबाई पुत्री हीरालाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. डालु पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
3. नारु पुत्र हीरालाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
4. बाली पुत्र मोती जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
5. लेहरु पुत्र मोती जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
6. सुन्दर बाई पुत्री हीरालाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
7. सायरी पत्नि मोती जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
8. सोहन पुत्र मोती जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरा पिता लच्छु जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी कमेरी ता तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

प्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की सामलाती, खातेदारी कृषि भूमि ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 192 खसरा संख्या 315, 316 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की सामलाती खातेदारी होकर प्रार्थीगण अपने हिस्से पर कब्जे काश्त होकर इसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, 02 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

वादीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थीण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के खाता संख्या 192 खसरा संख्या 315, 316 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थीगण अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

11/11/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला–राजसमन्द (राज.)